पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण के 44 वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया

लखनऊः 24 नवम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज विश्वेश्वरैय्या प्रेक्षागृह में राज्य लोक सेवा अधिकरण के 44वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायी एवं न्याय मंत्री श्री बृजेश पाठक, महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री डा0 रीता बहुगुणा जोशी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन, राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायधीश श्री सुनील अम्बवानी, राज्य लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना व अन्य न्यायमूर्तिगण व अधिवक्तागण भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर सुझाव दिया कि कार्यालय में महिलाओं के साथ होने के छेड़छाड़ जैसे अपराध को न्यायालय के पास जाने के बदले अधिकरण के पास जाना चाहिए, जिससे शीघ्रता से निर्णय भी हो सके और बिला वजह उसका प्रचार भी न हो। उन्होंने कहा कि 'सेक्सुअल हेरेसमेंट आफ वीमेन एट वर्कप्लेस (प्रीवेंशन, प्रोहिबिशन एण्ड रिड्रेसल) एक्ट 2013' को प्रभावी बनाने में राज्य लोक सेवा अधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राज्यपाल ने लम्बित वादों पर चर्चा करते हुए कहा कि न्याय की अपेक्षा में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को शीघ्रता से न्याय मिले। मुकदमों में तारीख पर तारीख न लगकर पारदर्शिता और शीघ्रता से न्याय प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि न्याय शीघ्र और समय पर मिले इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

श्री नाईक ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक डिजिटल बनाना चाहिए। डिजिटल प्रक्रिया से वाद में प्रतिवादी को भी सुविधा मिलेगी। सरकारी कर्मचारी चाहे वह मुख्य सचिव हो या कार्यालय सहायक सभी सरकारी व्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। राज्य लोक सेवा अधिकरण के द्वारा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण किये जाने से उनके उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी तथा अपनी लगन और कार्यक्षमता से जनता की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं को पूरा करने में सरकार के संकल्प को पूरा करने में सार्थक भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। राज्यपाल ने अधिकरण में रिक्त पदों पर नये सदस्यों की नियुक्ति की भी बात कही।

विधायी एवं न्याय मंत्री श्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार की सफलता में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य सरकार यदि शरीर है तो कर्मचारी उसकी श्वास की तरह होते हैं। उन्होंने अधिकरण की सराहना करते हुए अधिकरण और सरकार दोनों का उद्देश्य जनता का हित है। उन्होंने सरकार की ओर से हर सम्भव सहयोग का आश्वासन भी दिया।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि अधिकरण का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित वाद में न्याय देना है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुकदमें कैसे शीर्घता से निस्तारित हों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन ने वादी और न्यायमूर्ति के अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि सच्चाई का पता लगाकर निर्णय देना ही न्यायालय का काम है।

न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी ने अधिकरण के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि सरकार की सफलता के लिए कर्मचारियों का संतोष बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र निस्तारण के लिए बेंच बढ़ाये जाने पर भी विचार किया जाये।

कार्यक्रम में अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा सभी अतिथियों का सम्मान स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट करके किया। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया।

अंजुम/दिलशाद/राजभवन (459/40)

राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0 प्र0, लखनऊ
44वीं स्थापना दिवस समारोह
LAW
मुख्य अतिथि
श्री राम नाईक
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश
विशिष्ट अतिथि